

2021/1522 ✓

खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र  
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
शाहपुरा  
विषय - राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

प्रशासन गौरी के सांग  
अभियान-2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम श्रीशोला की  
जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 79 के खाता संख्या 647  
में राजू राम कापूर / मांगू कर्पटि / जगदि राठी नाम कापूर राम /  
मांगूराम है

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

(राजू राम)

क- 23/1/21

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

प्रयोजी

निवेदन है कि ग्राम श्रीशोला के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 79 के  
खा संख्या 647 में प्रार्थी का नाम राजू (मांगू) दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न  
जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम राजू राम / मांगूराम है। जो संशोधित किया  
उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

(राजू राम)

भू.अ.नि.

राजू राम  
11/2/21

पटवारी श्रीशोला  
08/12/21

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा राजभू.राज. अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर  
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र  
रिपोर्ट पटवारी श्रीशोला व भू.अ.नि. श्रीशोला एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर  
श्रीशोला की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 79 की खाता संख्या 647 में प्रार्थी का  
राजू राम / मांगूराम के बजाय राजू राम / मांगूराम किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

शाहपुरा (मीलवाडा)

15/3/21

आदेश

13/2/21

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम श्रीशोला जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 खाता  
संख्या 647 में दर्ज प्रार्थी का नाम राजू राम / मांगूराम के स्थान पर राजू राम / मांगूराम संशोधन के

आदेश दिये जाते हैं।



उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (मीलवाडा)